न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा।

पी0ए0 केस नं0– 52/2016–17

मुनीलाल हॉसदा बनाम् रैयान मौजा–भलगोड़ा

–: आदेश :–

25.09.2021

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक मुनीलाल हॉसदा, पे0–स्व0 सुफल हॉसदा, सा0–भलगोड़ा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–भलगोड़ा नं0–08 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के कार्यालय पत्रांक–95/रा0 दिनांक–25.01.2021 प्राप्त है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–95/रा0 दिनांक–25.01.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–भलगोड़ा नं0–08 के एक प्रधानी मौजा है। मौजा–भलगोड़ा नं0–08 के जमाबंदी नं0–19 के अन्तर्गत रामजीत हॉसदा व नुना हॉसदा व चुनका हॉसदा, पे0–रतना हॉसदा के नाम से खाता में दर्ज है, जिसका पूर्व ग्राम प्रधान स्व0 रामजीत हॉसदा नियुक्त प्रधान थे, जिसकी मृत्यु के पश्चात् मौजा का प्रधानी पद रिक्त हो गया है। मृत प्रधान का पुरूष उत्तराधिकारी नहीं होने एवं खाता संयुक्त होने के कारण तथा पूर्व प्रधान का निकटतम पुरूष उत्तराधिकारी होने के कारण आवेदक मुनीलाल हॉसदा, पे0–स्व0 सुफल हॉसदा को मौजा–भलगोड़ा नं0–08 का ग्राम प्रधान नियुक्त करने हेतु मौजा के रैयतों /ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत आवेदक आवेदक मुनीलाल हॉसदा, पे0–स्व0 सुफल हॉसदा को मौजा–भलगोड़ा नं0–08 का प्रधान नियुक्त करने हेतु नियमानुसार कर्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1575/सा0 दिनांक–03.09.2021 के द्वारा दिनांक–25.09.2021 को मौजा–भलगोड़ा नं0–08 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु आयोजित ग्राम सभा में आवेदक मुनीलाल हॉसदा को ग्राम प्रधान के रूप में नियुक्ति हेतु ग्राम सभा में उपस्थित रेयतों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के 16 आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनिमय, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की आयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनिमय, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being

F/Order.

hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मुनीलाल हॉसदा, पे0–स्व0 सुफल हॉसदा, सा0–भलगोड़ा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–भलगोड़ा नं0–08 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

25/01/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

25/01/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 14:00:12 +05:30
Location: 192.168.8.107

F/Order.